

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री दौलतराज नागोडा एडवोकेट पता तहसील रोड आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- 121/2026

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 26-05-2026 | <p>—: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।अपीलार्थी अपने आवेदन-पत्र दिनांक 02.03.2026 में वर्णित सूचना तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार आसीन्द से चाही गई है। तहसीलदार आसीन्द आर.टी.आई एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा आवेदन सक्षम अधिकारी-लोक सूचना अधिकारी जो कि उपखण्ड अधिकारी आसीन्द है, के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि त्रुटी पूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी की अपील विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना के सम्बंध में नवीन आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। <p>निर्णय आज दिनांक 26-05-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |



(जसमीत सिंह संघु)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर भीलवाड़ा

भीलवाड़ा